

# भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (लेखों का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018<sup>1</sup>

[23.10.2023 को अद्यतन किया गया]

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 26 का उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 53 की उप-धारा (2) खंड (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन, केंद्रीय सर-कार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (लेखों का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" का अर्थ (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) है।

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप हैं।

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची हैं।

(2) पदों और शब्दों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. **लेखों और अन्य संबद्ध अभिलेखों का वार्षिक विवरण:-** (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह महीने की किसी अवधि के अवसान पर, उस अवधि के संदर्भ लेखे एवं रिकॉर्ड इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 'क', प्ररूप 'ख' और प्ररूप 'ग' तथा अनुसूचियों में तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण के अनुमोदित लेखों के विवरण प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह के भीतर अग्रेषित किए जाएंगे।

(3) प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने के बाद लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण के वार्षिक लेखों के विवरण, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित हो, संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे।

4. **लेखों आदि का अनुरक्षण:-** प्राधिकरण नियम 3 में निर्दिष्ट तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्तीय वर्ष जिससे वह संबंधित है, पश्चातवर्ती 5 वर्षों तक सुरक्षित रखेगा।

<sup>1</sup> भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i), संख्या 834 दिनांक 20.11.2018 में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1135 (अ), दिनांक 13.9.2018 द्वारा प्रकाशित।

प्ररूप क

[देखें नियम 3(1)]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

31 मार्च 20-- की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि/रु.)

(1)	(2)	अनुसूची (3)	चालू वर्ष (4)	गत वर्ष (5)
	<b>आधारभूत/पूँजीगत निधि और देयताएं</b>			
1.	आधारभूत/पूँजीगत निधि	1		
2.	भंडार और अधिशेष	2		
3.	आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	3		
4.	सुरक्षित ऋण और उधारी	4		
5.	असुरक्षित ऋण और उधारी	5		
6.	आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
7.	मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7		
	<b>कुल</b>			
	<b>आस्तियां</b>			
1	अचल आस्ति	8		
2	निवेश-आरक्षित एवं अधिशेष निधियों से	9		
3	निवेश-अन्य	10		
4	मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11		
5	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते में डाला गया हो अथवा समायोजित नहीं किया गया हो)			
	<b>कुल</b>			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर नोट्स	26		

नोट: तुलन-पत्र की सभी अनुसूचियां लेखों को भाग होंगी।

**प्ररूप ख**  
**[देखें नियम 3(1)]**  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**31 मार्च, 20.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा**

(राशि/रु.)

क्र.सं.	आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सेवाओं से आय	12		
2	अनुदान/सब्सिडी	13		
3	शुल्क/अभिदान	14		
4	निवेश से आय ( निधि में अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15		
5	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
6	अर्जित ब्याज	17		
7	अन्य आय	18		
8	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19		
	<b>कुल (क)</b>			
	<b>व्यय</b>			
1	स्थापना व्यय	20		
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21		
3	परिचालन व्यय	22		
4	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23		
5	ब्याज	24		
6	मूल्यहास (साल के अंत में शुद्ध योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)			
	<b>कुल (ख)</b>			
	<b>व्यय पर आय के अतिरिक्त शेष राशि ( क-ख)</b>			
	स्पेशल रिजर्व में हस्तांतरण( प्रत्येक निर्दिष्ट करें )			
	जनरल रिजर्व से/को हस्तांतरण			
	<b>शेष बतौर अधिशेष/(घाटा)आधारभूत/पूंजीगत निधि के लिए</b>			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स	26		

**नोट:- आय और व्यय लेखों की सभी अनुसूचियां लेखों का भाग होंगी।**

प्ररुप ग  
[देखें नियम 3 (1)]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
31 मार्च, 20.... को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि/रु.)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	<b>प्राप्ति</b>		
1	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी शेष		
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में		
	ii. जमा खातों में		
	iii. बचत खाते		
2	प्राप्त अनुदान / सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से		
	i. अनुदान सहायता : सामान्य		
	ii. अनुदान सहायता : वेतन		
	iii. अनुदान सहायता : पूंजी		
	ख. राज्य सरकार से		
	ग. अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए)		
3	सेवाओं से आय		
4	निवेश से आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि		
	ख. स्वयं की निधि (अन्य निवेश)		
5	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर		
	ख. ऋण, अग्रिम आदि		
	ग. अन्य		
6	अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
7	उधार ली गई राशि		
8	अन्य प्राप्तियाँ (विवरण दें)		
	क. एनपीएस		
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान		
	ग. प्रतिभूति/ बयाना जमा		
	घ. अग्रिमों की वापसी		
	i. गृह निर्माण अग्रिम		
	ii. कार अग्रिम		
	iii. मोटर साईकिल/स्कूटर अग्रिम		
	iv. कंप्यूटर अग्रिम		
	v. अन्य अग्रिम		
	ङ. आयकर		
	च. सेवा कर		
	छ. विविध प्राप्तियाँ		
	<b>कुल</b>		

	भुगतान		
1	स्थापना व्यय (अनुसूची 18 के अनुरूप)		
2	अन्य प्राशासनिक व्यय (अनुसूची 19 के अनुरूप)		
3	परिचालन खर्च (अनुसूची 22 के अनुरूप)		
4	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान भुगतान के ब्यौरे प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित निधि या परियोजना के नाम के साथ दिखाए जाने चाहिए।		
5	किए गए निवेश और जमा राशि		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से		
	ख. स्वयं के धन से ( निवेश – अन्य)		
6	अचल आस्ति और पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों की खरीद		
	ख. पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय		
7	अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को		
	ख. राज्य सरकार को		
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को		
8	वित्त प्रभार (ब्याज)		
9	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस		
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान		
	ग. प्रतिभूति/बयाना जमा (ईएमडी)		
	घ. अग्रिम		
	i. गृह निर्माण अग्रिम		
	ii. कार अग्रिम		
	iii. मोटर साईकिल/स्कूटर अग्रिम		
	iv. कंप्यूटर अग्रिम		
	v. अन्य अग्रिम		
	ङ. आयकर		
	च. सेवा कर		
	छ. विविध भुगतान		
10	अंत शेष		
	क. नकदी		
	ख. बैंक बकाया		
	i. चालू खातों में		
	ii. जमा खातों में		
	iii. बचत खातों में		
	<b>कुल</b>		

### अनुसूची 1

[देखें प्ररूप क]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
आधारभूत राशि/पूँजीगत निधियां

31 मार्च, 20\_\_\_\_ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसकी भाग बनाया गया

( राशि/रु.)

विवरण (1)	चालू वर्ष (2)	गत वर्ष (3)
वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि		
जोड़ें : समग्र /पूँजीगत निधि हेतु योगदान		
जोड़ें/(घटा) : आय और व्यय खाते के अंतरित शुद्ध आय /(व्यय) के शेष		
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष राशि		

### अनुसूची 2

[देखें नियम 3 (1)]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
आरक्षित और अधिशेष

31 मार्च 20.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसकी भाग बनाया गया

( राशि/रु.)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	<b>आरक्षित पूँजी</b>		
	पिछले अकाउंट के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
2	<b>पुनर्मूल्यांकन आरक्षित</b>		
	पिछले लेखों के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
3	<b>विशेष आरक्षित</b>		
	पिछले अकाउंट के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
4	<b>सामान्य आरक्षित</b>		
	पिछले लेखों के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 3**  
[देखें प्ररूप का]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**निर्धारित/अक्षय निधियां**

31 मार्च 20.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)

(1)	विवरण (2)	निधि-वार विवरण				कुल	
		निधि WW (3)	निधि XX (4)	निधि YY (5)	निधि ZZ (6)	वर्तमान वर्ष (7)	पिछला वर्ष (8)
1	निधियों का अथ शेष	-	-	-	-	-	-
2	निधियों में परिवर्धन						
	क. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
	ख. निधि के निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
	ग. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
	<b>कुल (1+2)</b>	-	-	-	-	-	-
3	निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय	-					
	क. पूंजीगत व्यय						
	i. अचल परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-
	ii. अन्य	-	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>					-	-
	ख. राजस्व व्यय	-	-	-	-		
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
	ii. किराया	-	-	-	-	-	-
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
	<b>कुल</b>					-	-
	<b>कुल (3)</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2 -3)</b>	-	-	-	-	-	-

**टिप्पणियाँ:**

- 1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।
- 2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।

अनुसूची 4  
[देखें प्ररूप क]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
जमानती ऋण और उधार

31 मार्च 20.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्र सरकार		
2	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3	वित्तीय संस्थाएं		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		
4	बैंक:		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें )		
	उपचित ब्याज और देय		
5	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6	डिबेंचर और बॉन्ड		
7	अन्य (निर्दिष्ट करें )		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि



अनुसूची 5  
[देखें प्ररूप क]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
अनारक्षित ऋण और उधार

31 मार्च 20.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्र सरकार		
2	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें )		
3	वित्तीय संस्थाएं		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		
4	बैंक:		
	क. मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें )		
	उपचित ब्याज और देय		
5	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6	डिबेंचर और बॉन्ड		
7	सावधि जमा		
8	अन्य (निर्दिष्ट करें )		
	कुल		
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि			

**अनुसूची 6**  
**[देखें प्ररूप क]**  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**आस्थगित ऋण देयताएं**

**31 मार्च 20.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया**

**(राशि/रु.)**

	<b>विवरण</b>	<b>चालू वर्ष</b>	<b>गत वर्ष</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	पूंजीगत उपकरणों और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्राप्त स्वीकृतियाँ		
2	अन्य		
	<b>कुल</b>		
<b>नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि</b>			

**अनुसूची 7**

[देखें प्ररूप क]

**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**

31 मार्च 20.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

(1)	विवरण (2)	चालू वर्ष (3)	गत वर्ष (4)
	<b>वर्तमान देयताएं</b>		
<b>1</b>	<b>स्वीकृतियाँ</b>		
<b>2</b>	<b>विविध लेनदार</b>		
क.	माल हेतु		
ख.	अन्य		
<b>3</b>	<b>प्राप्त अग्रिम</b>		
<b>4</b>	<b>उपचित अदेय ब्याज:-</b>		
क.	जमानती ऋण /उधार		
ख.	गैर- जमानती ऋण/ उधार		
<b>5</b>	<b>सांविधिक देयताएं:-</b>		
क.	अतिदेय		
ख.	अन्य		
<b>6</b>	<b>अन्य वर्तमान देयता</b>		
	<b>कुल (क)</b>		
	<b>प्रावधान</b>		
1	कराधान के लिए		
2	ग्रेच्युटी		
3	अधिवर्षिता/पेंशन अंशदान		
4	संचित छुट्टी नकदीकरण		
5	व्यापार वारंटियाँ/दावे		
6	देय छुट्टी वेतन		
7	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	<b>कुल (ख)</b>		
	<b>कुल (क+ख )</b>		



10.	अन्य अचल आस्तियाँ										
	चालू वर्ष का योग										
	गत वर्ष										
	प्रगतिरत कार्य पूंजी										
	कुल										
<i>(उपर्युक्त में शामिल किराया, खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।)</i>											

अनुसूची 9  
[देखें प्ररूप क]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

(1)	विवरण (2)	चालू वर्ष (3)	गत वर्ष (4)
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर और बॉन्ड		
5.	समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		
	<b>कुल</b>		

अनुसूची 10  
[देखें प्ररूप क]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अन्य निवेश

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबैंचर और बॉन्ड		
5	सहायक कंपनियां और संयुक्त वेंचर्स		
6	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 11**  
[देखें प्ररूप क]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**

**वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि**  
**31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया**

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ए.</b>	<b>वर्तमान संपत्ति</b>		
1.	<b>वस्तु सूची :-</b>		
क.	स्टोर और स्पेयर्स		
ख.	अबद्ध उपकरण		
ग.	व्यापारिक स्टॉक		
i.	तैयार सामग्री		
ii.	प्रगतितर - कार्य		
iii.	कच्चा माल		
2.	<b>विविध देनदार</b>		
क.	छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
ख.	अन्य		
3.	<b>हस्तगत रोकड़ (चेक /ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)</b>		
4.	<b>बैंकों में शेष राशि</b>		
क.	अनुसूचित बैंकों के साथ		
i.	चालू खातों में		
ii.	मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)		
iii.	बचत बैंक जमा खातों में		
ख.	गैर - अनुसूचित बैंकों के साथ :-		
i.	चालू खातों में		
ii.	मियादी जमा खातों में		
iii.	बचत बैंक जमा खातों में		
5.	<b>डाकघर बचत खाते -</b>		
6.	<b>अन्य</b>		
	<b>योग (बी)</b>		
<b>बी.</b>	<b>बी. ऋण,अग्रिम,एवं अन्य आस्तियां</b>		
1.	<b>ऋण</b>		
क.	अधिकारी/कर्मचारी		
ख.	संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं।		
ग.	अन्य (स्पष्ट करें)		
2.	<b>नकदी या वस्तु में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि</b>		
क.	पूंजी खाते में		
ख.	पूर्व - भुगतान		



ग.	प्रतिभूति जमा		
घ.	अन्य		
<b>3.</b>	<b>उपाचित आय</b>		
क.	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर		
ख.	अन्य निवेश पर		
ग.	ऋण और अग्रिम पर		
घ.	अन्य (अप्राप्य देय आय रूपए ..... सहित है )		
<b>4.</b>	<b>प्राप्य दावे</b>		
	<b>योग(बी)</b>		
	<b>योग (ए+बी)</b>		

**अनुसूची 12**  
[देखें प्ररूप ख]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**सेवाओं से आय**

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रमाणीकरण सेवाएँ		
2	नामांकन सेवा		
3	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 13**  
[देखें प्ररूप ख]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**अनुदान/सब्सिडी**

(प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान और सब्सिडी)

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्र सरकार		
2	राज्य सरकार (सरकारें)		
3	सरकारी एजेंसियां		
4	संस्थान/कल्याण निकाय		
5	अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं		
6	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	<b>योग</b>		

**अनुसूची 14**  
[देखें प्ररूप ख]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**शुल्क/अभिदान**

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रवेश शुल्क		
2	वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
3	संगोष्ठी/कार्यक्रम का शुल्क		
4	व्यावसायिक/परामर्शी शुल्क		
5	लाइसेंस शुल्क		
6	अन्य (स्पष्ट करें)		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 15**  
[देखें प्ररूप ख]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
(निधि की अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

(1)	विवरण	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.</b>	<b>ब्याज</b>				
क.	सरकार प्रतिभूतियों पर				
ख.	बॉन्ड /डिबेंचर्स				
ग.	अन्य				
<b>2.</b>	<b>लाभांश:</b>				
क.	शेयरों पर				
ख.	म्युचुअल फंड पर				
ग.	अन्य (स्पष्ट करें)				
	<b>कुल</b>				
	<b>निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित</b>				

**अनुसूची 16**

[देखें प्ररूप ख]

**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय**

**31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रॉयल्टी से आय		
2.	प्रकाशनों से आय		
3.	अन्य (स्पष्ट करें )		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 17**

[देखें प्ररूप ख]

**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
अर्जित ब्याज**

**31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>सावधि जमाराशियों पर</b>		
क.	अनुसूचित बैंको से		
ख.	गैर - अनुसूचित बैंको से		
ग.	संस्थानों से		
घ.	अन्य लोग		
<b>2.</b>	<b>बचत खातों पर</b>		
क.	अनुसूचित बैंको से		
ख.	गैर - अनुसूचित बैंको से		
ग.	डाकघर बचत खाते		
घ.	अन्य		
<b>3.</b>	<b>ऋणों पर</b>		
क.	कर्मचारियों/स्टाफ		
ख.	अन्य		
<b>4.</b>	<b>ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज</b>		
	<b>कुल</b>		
	<b>नोट -</b> स्रोत पर कर कटौती से सूचित किया जाए।		

**अनुसूची 18**  
[देखें प्ररूप ख]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
अन्य आय

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)

(1)	विवरण (2)	चालू वर्ष (3)	गत वर्ष (4)
1.	आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क.	स्वामित्व वाली संपत्ति		
ख.	आस्तियों अनुदान के बाहर का अधिग्रहण, या निःशुल्क प्राप्त		
2.	जारी परिनिर्धारिती नुकसानी, अर्थदण्ड		
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4	किराया		
5	विविध आय		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 19**  
[देखें प्ररूप ख]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगतिरत कार्यों में वृद्धि/(कमी)

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

(1)	विवरण (2)	चालू वर्ष (3)	गत वर्ष (4)
1.	अंतिम स्टॉक		
क.	तैयार सामग्रियां माल		
ख.	प्रगतिरत कार्य		
2.	घटाव : प्रारंभिक शेष		
क.	तैयार सामग्रियां		
ख.	प्रगतिरत कार्य		
	<b>निवल वृद्धि/(कमी) [(1)-(2)]</b>		

अनुसूची 20  
[देखें प्ररूप ख]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
स्थापना व्यय

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)

(1)	विवरण (2)	चालू वर्ष (3)	गत वर्ष (4)
1	वेतन और मजदूरी		
2	समयोपरि भत्ता		
3	भत्ते और बोनस		
4	चिकित्सा उपचार		
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		
6	घरेलू यात्रा व्यय		
7	विदेश यात्रा व्यय		
8	एनपीएस अंशदान		
9	ग्रेच्युटी अंशदान		
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान		
11	कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति एवं सेवा निवृत्ति लाभ पर व्यय		
12	अन्य निधि हेतु अंशदान (स्पष्ट करें)		
13	कर्मचारी कल्याण व्यय		
14	अन्य (स्पष्ट करें)		
	<b>कुल</b>		

अनुसूची 21

[देखें प्ररूप ख]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खरीद		
2.	श्रम और प्रसंस्करण व्यय		
3.	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन		
4.	विद्युत एवं शक्ति		
5.	जल प्रभार		
6.	बीमा		
7.	मरम्मत और रख-रखाव		
8.	उत्पाद शुल्क		
9.	किराया, दर एवं कर		
10.	वाहन चालन एवं रख-रखाव		
11.	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
12.	मुद्रण और स्टेशनरी		
13.	यात्रा एवं वाहन व्यय		
14.	संगोष्ठी/वर्कशॉप पर व्यय		
15.	अभिदान व्यय		
16.	शुल्कों पर व्यय		
17.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
18.	आतिथ्य व्यय		
19.	पेशेवर प्रभार		
20.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		
21.	भर्ती व्यय		
22.	अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
23.	अपलिखित अप्रतिलभ्य शेष		
24.	पैकिंग शुल्क		
25.	मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार		
26.	वितरण व्यय		

27.	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय		
28.	कानूनी प्रभार		
29.	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, परिचर आदि )		
30.	अन्य (स्पष्ट करें)		
	<b>कुल</b>		



**अनुसूची 22**  
[देखें प्ररूप ख]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**परिचालन खर्च**

**31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया**  
**(राशि/रु.)**

(1)	विवरण (2)	चालू वर्ष (3)	गत वर्ष (4)
<b>1.</b>	<b>नामांकन , प्रमाणीकरण और अपडेशन</b>		
क.	पंजीयकों को सहायता		
ख.	गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)		
ग.	विज्ञापन और प्रचार		
घ.	अन्य शुल्क		
<b>2.</b>	<b>प्रौद्योगिकी संचालन</b>		
क.	कार्यालय व्यय		
ख.	किराया, दरें और कर		
ग.	पेशेवर सेवाएं/ प्रबंधित सेवा प्रदाता लागत		
<b>3.</b>	<b>लॉजिस्टिक्स एवं अन्य संचार</b>		
क.	मुद्रण लागत		
ख.	डिस्पैच लागत		
ग.	टीएफएन /संपर्क केंद्र लागत		
घ.	शिकायत निवारण संचालक		
ड.	अन्य शुल्क		
<b>4.</b>	<b>आधार सक्षम अनुप्रयोग</b>		
क.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता		
ख.	माइक्रो एटीएम सहायता		
ग.	आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास		
घ.	आईए/राज्य संबंधित व्यक्ति		
ड.	अन्य शुल्क		
<b>5.</b>	<b>अन्य समर्थन संचालन</b>		
क.	डीएमएस		
ख.	डीएमएस -क्यूसी		
ग.	जीआरसीपी		
घ.	प्रशिक्षण एवं परीक्षण प्रमाणन/		
<b>6.</b>	<b>यूबीसीसी ऑपरेशन्स</b>		
क.	ओ ई		
ख.	ओ ए ई		
ग.	सहायता अनुदान		

<b>7.</b>	<b>भौतिक सुरक्षा</b>		
क.	वेतन		
ख.	कार्यालय व्यय		
ग.	किराया, दरें और कर		
घ.	अन्य शुल्क		
<b>8.</b>	<b>सूचना प्रौद्योगिकी</b>		
क.	कार्यालय व्यय		
ख.	किराया, दरें और कर		
ग.	व्यावसायिक सेवाएँ (पीएमयू, टीएसयू, अन्य ठेके)		
घ.	अन्य व्यय		
<b>9.</b>	<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र (यूआईडीएआई)</b>		
क.	लॉजिस्टिक और अन्य संचार		
ख.	अन्य शुल्क		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 23**  
[देखें प्ररूप ख]  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय**

**31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया**  
**(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संस्थानों/संगठनों को दिया अनुदान		
2.	संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी		
	<b>कुल</b>		

**नोट:-** संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों अनुदान की राशि के साथ साथ सब्सिडी का भी खुलासा हो।

अनुसूची 24  
[देखें प्ररूप ख]  
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
ब्याज

31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया  
(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ब्याज		
क.	नियत ऋणों पर		
ख.	अन्य ऋणों पर		
ग.	अन्य (स्पष्ट करें )		
2	बैंक प्रभार		
	<b>कुल</b>		

**अनुसूची 25**  
**[देखें प्ररूप क एवं प्ररूप ख]**  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (निदर्शी)**  
**31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लेखों का भाग**

**1. लेखा प्रणाली**

जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो और लेखा की प्रोद्धवन पद्धति पर वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

**2. निवेश**

- 2.1 "लंबी अवधि के निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश को लागत से किया जाता है। गिरावट, अस्थायी के अलावा, अन्य के लिए प्रावधान, ऐसे निवेश की लागत को ले जाने में किया जाता है।
- 2.2 "वर्तमान" वर्गीकृत निवेश के रूप में लागत और उचित मूल्य की कम कीमत पर किया जाता है। इस तरह के निवेश के मूल्य पर इस कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश व्यक्तिगत रूप से माना जाता है और वैश्विक आधार पर नहीं किया जाता है।
- 2.3 लागत में अधिग्रहण का खर्च, जैसे ब्रोकरेज हस्तांतरण टिकटें भी शामिल हैं।

**3. अचल आस्तियां**

- 3.1. अचल आस्तियां के अधिग्रहण आवक भाड़ा शुल्कों और करों और अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और समावेशी प्रत्यक्ष खर्च की कीमत पर किया गया है। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में संबंधित परिचालन पूर्व व्यय विशेष (परियोजना के पूरा होने से पहले लिए ऋण पर ब्याज सहित) के रूप में आस्तियों के मूल्य का पूंजीकृत हिस्सा।
- 3.2 गैर मौद्रिक अनुदान के माध्यम से प्राप्त की गई अचल आस्तियां (आधारभूत निधि की ओर से इतर) उल्लिखित पूंजीकृत मूल्यों के अनुरूप पूंजी आरक्षित से क्रेडिट करके है।

**4. मूल्यहास**

- 4.1 अचल आस्तियों जो चुकाई जानी हैं, के लिए मूल्यहास आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधे लाइन पद्धति पर, प्रदान किया जाता है, सिवाय विदेशी मुद्रा देनदारियों के रूपांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली लागत समायोजन पर।
- 4.2 वर्ष के दौरान अचल आस्तियों से/में कटौती/परिवर्धन करने के लिए मूल्यहास यथानुपात आधार पर माना जाता है।
- 4.3 रु. 5000/- या उससे कम लागत की सभी आस्तियों की लागत पूरी तरह से प्रदान की जाती है।

**5. विविध व्यय**

आस्थगित राजस्व व्यय होने वाले खर्च वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में अपलिखित होता है।

## **6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी**

6.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूंजी लागत के प्रति योगदान की प्रकृति का सरकारी अनुदान पूंजी रिसर्व के रूप में माना जाता है।

6.2 विशिष्ट अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में अनुदान संबंधित संपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दिखाया गया है।

6.3 सरकारी अनुदान/सब्सिडी का परिकलन प्राप्ति के आधार पर है।

## **7. विदेशी मुद्रा लेन-देन**

7.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का परिकलन लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर के आधार पर है।

7.2 मौजूदा परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋण और मौजूदा देनदारियों की लागत को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित कर वर्ष के अंत में परिणामी लाभ/हानि के रूप में समायोजित किया जाता है। यदि तय विदेशी मुद्रा देनदारी अचल संपत्ति से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

## **8. पट्टे**

पट्टे का किराया व्यय पट्टा करने की संदर्भ शर्तों के अनुरूप है।

## **9. सेवानिवृत्ति लाभ**

9.1. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय ग्रेच्युटी संबंधी दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया गया है।

9.2. कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान पर गणना इस धारणा सहित की जाती है कि प्रत्येक कर्मचारियों वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

**अनुसूची 26**  
**[देखें प्ररूप क एवं प्ररूप ख]**  
**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
**आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स (निदर्शी)**  
**31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग**

**1. आकस्मिक देयताएं**

- 1.1 संस्था के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं – रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।
- 1.2 के संबंध में:
- संस्था द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी/रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।
  - संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोला क्रेडिट के पत्र रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।
  - बैंकों के साथ रियायती बिल: रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।
- 1.3 के संबंध में विवादित मांगे:
- आयकर रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।
  - सेवा-कर रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।
  - नगरपालिका कर रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।
- 1.4 आदेशों के गैर निष्पादन के लिए पार्टियों से प्राप्त दावों के संबंध में, लेकिन इकाई द्वारा विवादित रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।

**2. पूंजी प्रतिबद्धता**

शेष ठेके के अनुमानित मूल्य पूंजी खाते पर क्रियान्वित किए जाने वाले शेष संविदा का अनुमानित मूल्य (और अग्रिमों के नेट) के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है .... (पिछले वर्ष .....)

**3. पट्टे आबंध**

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत भविष्य के लिए किराया दायित्वों की राशि रू. .... (पिछले वर्ष रू. ....)।

**4. मौजूदा आस्तियां, ऋण और अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, मौजूदा आस्तियां, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्ति तुलन पत्र में दिखाई गई कम से कम कुल राशि के बराबर मूल्य की है।

## 5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई आय न होने को ध्यान में रखते हुए, आयकर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

## 6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन की गणना लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दरों पर जाती है।

## 7. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

बतौर लेखा परीक्षकों के रूप

- कराधान मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाण पत्र के लिए
- अन्य कार्य

8. पिछले वर्ष के लिए संगत आंकड़े, जहां आवश्यक समझे गए, फिर से पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थिति कर दिए गए हैं।

9. अनुसूची 1 से 26 संलग्न हैं और वे, 31 मार्च..... के तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान लेखा के अभिन्न भाग हैं।